

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना 15, दिनांक 25.7.19

सं.-21/त.क.च.आ.-05/2017 सा.प्र. 10053/बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-8 में विहित प्रावधान के आलोक में उक्त अधिनियम की अनुसूची में स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित दो पदों का शामिल किया जाता है:-

1. बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग के मूल कोटि का पद "यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक"।
2. बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग के प्रथम सोपान का पद "प्राचार्य"।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अवनीश कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/त.क.च.आ.-05/2017 सा.प्र. 10053/पटना 15, दिनांक 25.7.19

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, ई.गजट शाखा को सी.डी. सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/त.क.च.आ.-05/2017 सा.प्र. 10053/पटना 15, दिनांक 25.7.19

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/त.क.च.आ.-05/2017 सा.प्र. 10053/पटना 15, दिनांक 25.7.19

प्रतिलिपि-राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-758 दिनांक-21.06.2019 एवं संख्या-489 दिनांक-04.06.2019 के आलोक में/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/त.क.च.आ.-05/2017 सा.प्र. 10053/पटना 15, दिनांक 25.7.19

प्रतिलिपि-आई.टी. प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।